फैक्स/अतिआवश्यक/तत्काल निर्गत

डी0जी0 परिपत्र संख्या– 52 /2015

जगमोहन यादव,
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः जुलाई 12.2015

प्रिय,

आप अवगत है कि दोषपूर्ण विवेचना होने से जहां अभियुक्तों को इसका लाभ मिलता है, वहीं पुलिस विभाग के प्रति प्रतिकूल धारणा बनती है। अतः आप सभी का यह दायित्व है कि यह सुनिश्चित करें कि आपराधिक मामलों विशेष रूप से संगीन अपराधों की विवेचना का स्तर उच्च कोटि का हो, जिससे अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाने में मदद मिल सकें।

2. अपराधों की विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रायः विवेचकों द्वारा की जाने वाली विवेचना केवल मौखिक साक्ष्यों पर आधारित रहती है और विवेचना में भौतिक साक्ष्यों (Physical Evidence) पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। मौखिक साक्ष्य पर आधारित विवेचना से सम्बन्धित अभियोग का न्यायालय में विचारण होने पर अपराधी का दोष अकाट्य रूप से सिद्ध कर पाना कठिन होता है। विवेचना में अधिकाधिक वैज्ञानिक पद्धति से साक्ष्य संकलन के सम्बन्ध में इस मुख्यालय से समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचकों द्वारा मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

3. प्रायः देखा जा रहा है कि घटना स्थल से मिल सकने वाले महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य जैसे अपराधी के शरीर के विभिन्न स्त्राव (secretion), खून, पसीना, थूक, लार, मल–मूत्र आदि के धब्बे/अवशेष (DNA Sampling) हेतु तथा अंगुष्ठ/पद छाप घटना स्थल से ठीक प्रकार से एकत्र नहीं किये जा रहे है। इस हेतु न तो विवेचक द्वारा समुचित ध्यान दिया जा रहा है और न ही विवेचना का पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों द्वारा। जबकि घटना स्थल से लिये गये अंगुष्ठ छाप अथवा DNA Sample के माध्यम से तैयार उपरोक्त प्रदर्श (Exhibits) के अपराधी के पकड़े जाने पर उससे तत्सम्बन्धी नमूना लेकर परीक्षण/मिलान कराकर घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति साबित की जा सकती है, जो अपराध में उसकी संलिप्तता का अकाट्य प्रमाण हो सकता है।

4. अतएव विवेचना के प्रारम्भिक चरण में घटनास्थल से कब्जे में लिये गये उपरोक्त स्त्राव (थूक, लार, पसीना आदि) एवं अंगुष्ठ छाप के नमूने लेकर अपराधी के मिलने पर उसके स्त्राव, अंगुष्ठ छाप से मिलान हेतु विधि विज्ञान

प्रयोगशाला अविलम्ब भेजे जाए। जनपदों में सोशल मीडिया का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया है। समाज के व्यक्तियों द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से फेसबुक पर बनी पेज/प्रोफाइल/वाट्सप एवं मोबाइल फोन आदि के माध्यम से आपराधिक कृत्य किये जा रहे है। सभी विवेचकों को यह स्पष्ट किया जाए कि अधिक से अधिक अपराधों में विशेष रूप से संगीन एवं महत्वपूर्ण अपराधों में भौतिक साक्ष्य हेतु वैज्ञानिक पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। साथ ही जनपद में स्थापित सर्विलांस सेल को भी सक्रिय किया जाए। इससे निश्चित रूप से अपराधी के विरूद्ध प्रमाणित साक्ष्य जुटाया जा सकता है और विवेचना की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ऐसा होने पर न्यायालय में अभियोग के परीक्षण के दौरान अपराधी को सजा दिलाये जाने की सम्भावना बढ़ जायेगी तथा जनमानस में पुलिस की छवि में सुधार होगा।

5. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्त क्षेत्राधिकारियों/थानाध्यक्षों/विवेचकों तथा कर्मचारियों को मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी में भली–भांति अवगत करा दें कि इसका शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी प्रति जनपद के थानों एवं कार्यालयों में अपने स्तर से वितरित कराना सुनिश्चित करें। विवेचना में किसी भी स्तर पर उदासीनता/लापरवाही पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित जनपद प्रभारी के विरूद्ध प्रतिकूल धारण बनायी जाएगी।

भवदीय,

19/7/15

(जगमोहन यादव)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।